"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 555] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 जुलाई 2025 — आषाढ़ 30, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जुलाई 2025

अधिसूचना

क्रमांक PROJ/395/2025-O/O DS (C&I).– चूंकि राज्य के व्यापक लोकहित के लिए लॉजिस्टिक्स सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है,

अतएव, राज्य शासन, एतद्द्वारा, संलग्न अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति–2025 अधिसूचित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति-2025

1. दृष्टि एवं उद्देश्य :-

"अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विज़न @2047" की परिकल्पना को साकार करने के लिए, राज्य को देश के एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने एवं राज्य के समग्र विकास के दृष्टिकोण से इस नीति के प्रावधान किए जा रहे हैं। विशेषतः इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं, -

(1) **GSDP के प्रतिशत के रूप में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना**: इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि लॉजिस्टिक्स संचालन को अधिक लागतकुशल और - प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, ताकि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में लॉजिस्टिक्स लागत को घटाया जा सके। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास में बाधक हो सकती है।

(2) **अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स और मल्टीमोडल अवसंरचना का विकास:-** इस नीति का दूसरा प्रमुख उद्देश्य विकसित और अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का निर्माण करना है, जो एक आधुनिक और तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसके तहत विभिन्न प्रकार की लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जो राज्य की लॉजिस्टिक्स क्षमता को मजबूत करेंगी और व्यापार के संचालन को सुगम बनाएंगी।

(3) **भण्डारण सुविधा में वृद्धि** - राज्य को लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग के वृहद क्षेत्रीय हब के रूप में विकसित करना तथा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना। विद्यमान उद्योगों, व्यापारियों, किसानों और बड़ी संख्या में कृषकों को सस्ती भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराकर लाभ पहुंचाना।

(4) **निवेश में वृद्धि** - राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर तथा ई-कॉमर्स की राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रमुख हब की स्थापना के लिए निवेश हेतु आकर्षित करना । अधिक से अधिक घरेलू एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करना।

(5) **निर्यात को प्रोत्साहन** - राज्य से निर्यात प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ड्राइ पोर्ट/ इन्लैन्ड कन्टैनर डिपो की स्थापना प्रोत्साहित करना। MSMEs और स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बाजारों तक पहुंच प्रदान करना। राज्य में उपलब्ध वन

आधारित संसाधन, वनोपज एवं वनौषधि उत्पादों के निर्यात हेतु इको सिस्टम तैयार करना।

(6) **रोजगार के अवसर में वृद्धि** - राज्य के युवाओं को रोजगार के नये अवसरों उपलब्ध कराना।

2. परिभाषाएं :-

(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अभिप्रेत हो, इस नीति में, -

i. **लॉजिस्टिक्स** - लॉजिस्टिक्स का आशय उत्पादन और उपभोग बिन्दुओं के बीच माल के परिवहन, हैण्डलिंग, भण्डारण, मूल्य संवर्धन एवं अन्य सम्बध्द सेवाओं से है। लॉजिस्टिक्स के घटक अंतर्गत सामान एवं वस्तुओं के परिवहन की व्यवस्था, वेयर हाउस/कोल्ड स्टोरेज द्वारा भण्डारण, लिफटिंग, मटेरियल हैण्डलिंग, वेब्रिज, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग तथा वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था सम्मिलित है।

ii. **वेयरहाउस (गोदाम)** - वेयरहाउस (गोदाम) से आशय राज्य की कृषि व वन्य सम्पदा के सुरक्षित संग्रहण, राज्य एवं राज्य के बाहर की औद्योगिक/व्यावसायिक सामग्रियां यथा निर्माण सामग्री, हाउसहोल्ड गुड्ज़, उपभोक्ता सामग्री, आटोमोबाईल्स, मेडीसिन, केमिकल्स, टेक्सटाईल्स, फर्नीचर, गैस, आयल इत्यादि एवं विदेश व्यापार प्रक्षेत्र में निर्मित सामग्री हेतु वेयर हाउस/गोदाम। इस शीर्ष में शो-रूम सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

iii. **कोल्ड स्टोरेज -** कोल्ड स्टोरेज से आशय है ऐसे सामान तथा वस्तुओं के संग्रहण से जिन्हे प्रशीतन की आश्यकता होती है इस हेतु प्रशीतन मशीनों का प्रयोग किया जाता हो। प्रशीतन के अलावा इकाई रेफ्रिजरेटेड रीफर वाहन सेवा का प्रयोग कर सकती है।

iv. **लॉजिस्टिक हब -** लॉजिस्टिक हब से आशय है वेयर हाउसिंग/गोदाम/कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ रेल/वायु/सड़क परिवहन से संबंधित विकसित की गई नवीन अधोसंरचना को सम्मिलित करते हुए निर्मित लॉजिस्टिक हब।

v. **मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क** से आशय है ऐसी अधोसंरचना जिसमे परिवहन के एक से अधिक माध्यम (सड़क/रेल/वायु) की व्यवस्था हो तथा माल को एकीकृत करने, छटाई करने, संग्रहण करने तथा पुनर्वितरण (redistribute) करने हेतु

आवश्यक व्यवस्थाएं हों। मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क के आवश्यक घटक हैं, सड़क एवं रेल/वायु अधोसंरचना, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज (आवश्यकता अनुसार), छटाई, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग की व्यवस्था, पार्किंग स्थल, लोडिंग अनलोडिंग हेतु आवश्यक अधोसंरचना, फ्यूलिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन इत्यादि।

vi. **ड्राइ पोर्ट/ इन्लैन्ड कन्टैनर डिपो** से आशय है निर्यात/आयात होने वाली वस्तुओं के प्रबंधन हेतु आवश्यक अधोसंरचना। इसके आवश्यक घटक हैं कन्टैनर हैंडलिंग, अल्पकालिक भंडारण एवं उनके लोडिंग अनलोडिंग हेतु आवश्यक अधोसंरचना, परिवहन हेतु सड़क, रेल अधोसंरचना, कस्टम क्लियरेन्स की सुविधा इत्यादि हैं।

vii. **एयर फ्रेट स्टेशन/ एयर कार्गो कॉम्पलेस:** भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी परिभाषा के अनुसार।

viii. **ट्रांसपोर्ट हब/फ्रेट स्टेशन** से आशय है नगरीय क्षेत्र अथवा नगरीय क्षेत्र के बाहर ट्रक के पार्किंग, डॉकिंग एवं माल के लोडिंग, अनलोडिंग, पुनर्वितरण एवं अल्पकालिक भंडारण की व्यवस्था हेतु अधोसंरचना।

(2) अन्य प्रयुक्त शब्दों का आशय औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट -1 के अनुसार होगा ।

3. समयावधि एवं समीक्षा :-

(1) यह नीति राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रवृत्त रहने की तिथि तक प्रभावशील रहेगी।

(2) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति-2025 के प्रावधानों को संशोधित कर सकेगी।

4. कार्ययोजना (Action Plan) :-

(1) औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका 12.8 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में एवं परिशिष्ट 6(1) के अंतर्गत मान्य लॉजिस्टिक सेक्टर की सेवा गतिविधियों के समग्र विकास की दृष्टि से यह नीति तैयार की गई है।

(2) राज्य में प्रभावी, सक्षम एवं आधुनिक लॉजिस्टिक सुविधा के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय लॉजिस्टिक समन्वय समिति** का गठन किया

गया है। इसी तरह जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में **जिला स्तरीय लॉजिस्टिक समन्वय समिति** का गठन किया जाएगा, जिसमें नगरीय निकाय, नगर एवं ग्राम निवेश, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के कार्यालय प्रमुख सदस्य होंगे। जिला स्तरीय लॉजिस्टिक समन्वय समिति का मुख्य कार्य नगरीय / क्षेत्रीय लॉजिस्टिक प्लान (City Logistic Plan/ Regional Logistic Plan) का निर्माण कर राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करना होगा तथा प्लान का क्रियान्वयन करना होगा।

(3) City Logistic Plan/ Regional Logistic Plan के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क/हब, ट्रांसपोर्ट हब हेतु स्थल का चयन किया जाएगा तथा निजी निवेशकों/PPP के माध्यम से चयनित स्थल पर अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा। राज्य से गुजरने वाले प्रमुख राजमार्गों/ एक्स्प्रेसवे एवं फ्रेट रेल्वे लाइन के समीप उपयुक्त स्थलों का चयन कर उन्हें निजी निवेशकों/PPP के माध्यम से ड्राइ पोर्ट/मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क/हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

(4) राज्य स्तर पर State Logistic Action Plan का निर्माण किया जाएगा। लॉजिस्टिक प्लान तैयार करने हेतु PM Gati-Shakti स्टेट मास्टर प्लान का उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित स्टेट कैपिटल रीजन (State Capital Region) हेतु विशेष लॉजिस्टिक प्लान प्लान तैयार किया जाएगा ।

(5) राज्य में ग्रीन लॉजिस्टिक को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रावधान किए जाएंगे।

(6) निजी निवेशकों को वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, अन्य लॉजिस्टिक सेवा संबंधी उद्यम, ड्राइ पोर्ट/लॉजिस्टिक पार्क/हब, ट्रांसपोर्ट हब निर्मित करने पर इस नीति में उल्लेखित निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

(7) दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में वस्तुओं की आपूर्ति, रेल अद्योसंरचना का विकास के लिए भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नई रेल नेटवर्कों का विकास सुनिश्चित किया जावेगा।

(8) राज्य में उपलब्ध मानव संसाधन के रोजगार-परक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के साथ राज्य के लॉजिस्टिक्स की आवश्यकतानुसार श्रम बल उपलब्ध कराने हेतु पाठ्यक्रमों हेतु समन्वय सुनिश्चित किया जावेगा।

(9) लॉजिस्टिक सेवाओं को सुगम, दक्ष बनाने एवं लॉजिस्टिक लागत कम करने की दृष्टि से राज्य में Unified Logistic Interface Program (ULIP) अपनाया जाएगा।

(10) राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य में ड्राइ पोर्ट/कार्गो टर्मिनल की स्थापना हेतु निजी निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। बस्तर एवं सरगुजा संभागों से निर्यात की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बस्तर एवं सरगुजा संभाग में ड्राइ पोर्ट/कार्गो टर्मिनल की स्थापना हेतु 10% अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

5. लॉजिस्टिक सेवाओं के मापदंड :-

(1) वेयर हाउसिंग (गोदाम) की संग्रहण क्षमता न्यूनतम 1000 मे. टन होना चाहिए। वेयर हाउस की संग्रहण क्षमता 2 टन प्रति वर्ग मीटर की दर से परिकलित की जाएगी।

(2) सभी वेयरहाउसों को राष्ट्रीय और राज्य निर्माण कोड के अनुरूप बनाना होगा, जिनमें संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं। आवश्यक अधोसंरचना सुविधाओं में लोडिंग-अनलोडिंग बे, ट्रक डॉकिंग स्टेशन, आंतरिक सर्कुलेशन मार्ग, और प्रभावी अग्निशमन प्रणाली सम्मिलित होंगी। पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप सोलर पैनल, और इकोफ्रेंडली निर्माण सामग्री - का उपयोग कियाजाना अपेक्षित होगा।

(3) स्मार्ट वेयरहाउस, जिसमें एकीकृत वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम (WMS), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरण, और इन्वेंटरी और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए RFID टैगिंग शामिल हो, का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। यह अनिवार्य घटक नहीं है।

(4) कोल्ड स्टोरेज जो फल, सब्जियाँ, डेयरी और अन्य कृषि उत्पादों का भंडारण करती हैं, वहाँ प्री-कूलिंग चैंबर्स, इंसुलेटेड स्टोरेज यूनिट्स, स्वचालित तापमान और आर्द्रता नियंत्रण प्रणाली, और ऊर्जा दक्ष रेफ्रिजरेशन सिस्टम होना अनिवार्य होगा। वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु निरंतर विद्युत बैकअप की व्यवस्था भी अनिवार्य है।

(5) वेयर हाउसिंग (गोदाम)/कोल्ड स्टोरेज/लॉजिस्टिक हब से संबंधित परिसर इस प्रकार स्थित हो कि वहां पर आसान पहुँच मार्ग हो, ट्रांसपोर्टिंग तथा लोडिंग-अनलोडिंग की पर्याप्त सुविधा हो।

(6) वेयर हाउसिंग (गोदाम)/ लॉजिस्टिक हब से सबंधित परिसर में एक बोर्ड अंकित होना चाहिए जिसमें वेयर हाउसिंग (गोदाम) की क्षमता, स्वीकृति प्राप्त शासकीय विभागों के नाम, क्लियरेंस व दिये गये एवं रोजगार की जानकारी भी अंकित हो।

6. निजी निवेशकों हेतु निवेश प्रोत्साहन हेतु पात्रता और शर्तें :-

(1) नीति की कालावधि में स्थापित होने वाले लॉजिस्टिक सेवा उद्यम, जो औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट- 6 के बिन्दु (अ) के अंतर्गत मान्य हैं, की स्थापना/ विस्तार/शवलीकरण पर तथा लॉजिस्टिक पार्क/हब की स्थापना/विस्तार पर निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

(2) निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु इकाइयों को राज्य के मूल निवासियों को स्थाई नियोजन में अकुशल कर्मचारियों/श्रमिक के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत, तथा प्रशासकीय/ प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशत, रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

7. वेयरहाउस हेतु निवेश प्रोत्साहन :-

(1) **नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर** (नेट एस.जी.एस.टी.) **प्रतिपूर्ति** -

विकासखण्ड की श्रेणीवार नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एस.जी.एस.टी.) प्रतिपूर्ति की सीमा निम्नानुसार होगी -

i. समूह-1 हेतु वाणिज्यिक उत्पादन करने के दिनांक से 5 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति, अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत तक,

ii. समूह-2 हेतु वाणिज्यिक उत्पादन करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति, अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत तक,

iii. समूह-3 हेतु वाणिज्यिक उत्पादन करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति, अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत तक।

अथवा

स्थायी पूंजी निवेश अनुदान -

न्यूनतम निर्माण क्षेत्र 10,000 वर्गफुट होने की शर्त पर, विकासखण्ड की श्रेणीवार स्थायी पूंजी निवेश की मात्रा एवं अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी -

i. समूह-1 हेतु मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 35 %, अधिकतम रु 18 करोड़।
ii. समूह-2 हेतु मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 40 %, अधिकतम रु 20 करोड़।
iii. समूह-3 हेतु मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 45 %, अधिकतम रु 22 करोड़।

टीप-

1. स्मार्ट वेयरहाउस (कंडिका 5 (3) के अनुसार) के निर्माण पर 5% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा एवं अधिकतम सीमा भी 5% अतिरिक्त होगी।

2. मान्य स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु भूमि मद में कुल स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 30% मान्य किया जाएगा। वेयरहाउस के निर्माण पर लागत का निर्धारण चार्टर्ड इंजीनियर एवं चार्टर्ड अकाउंटेन्ट के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। शेड/ भवन निर्माण का अधिकतम मान्य निवेश रु 1000/वर्गफुट होगा।

3. रु 10 करोड़ तक के स्थायी पूंजी निवेश वाले वेयरहाउस को स्थाई पूंजी निवेश अनुदान का वितरण 3 समान किश्तों में किया जाएगा। रु 10 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले वेयरहाउस को स्थाई पूंजी निवेश अनुदान का वितरण 5 समान किश्तों में किया जाएगा।

4. उपरोक्त दर्शित नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अथवा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान में से कोई एक सुविधा विकल्प चयन के आधार पर ली जा सकेगी। इस हेतु एक बार लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा। विकल्प चयन करने हेतु निवेशक को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में विकल्प पत्र शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

5. स्थायी पूंजी अनुदान की प्रथम किश्त का भुगतान उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पर निर्धारित स्वीकृति के पश्चात किया जा सकेगा।

(2) **ब्याज अनुदान -**

नवीन/विद्यमान उद्यम में विस्तार/शवलीकरण करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वेयरहाउस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित अनुसार ब्याज अनुदान प्रदान किया जा सकेगाः –

क्र.	विकासखण्ड की श्रेणी	स्थायी पूंजी निवेश रू 1 करोड़ से रू 5 करोड़ तक			स्थायी पूंजी निवेश रू 5 करोड़ से अधिक		
		दर (प्रतिशत)	अधिकतम सीमा (रू लाख में)	अवधि (वर्षों में)	दर (प्रतिशत)	अधिकतम सीमा (रू लाख में)	अवधि (वर्षों में)
1	समूह-1	50	35	06	50	45	09
2	समूह-2	55	40	07	55	50	10
3	समूह-3	60	45	08	60	55	11

(3) **विद्युत शुल्क से छूट -**

इस नीति के अंर्तगत नवीन लॉजिस्टिक्स उद्यम के प्रकरणों में विकासखंड की श्रेणीवार विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की अवधि एवं मात्रा निम्नानुसार हो सकेगी:-

i. समूह-1 हेतु वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट।

ii. समूह-2 हेतु वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट।

iii. समूह-3 हेतु वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।

(4) **स्टाम्प शुल्क से छूट -:**

नवीन लॉजिस्टिक्स उद्यम/विद्यमान उद्यम में विस्तार/शवलीकरण के प्रकरणों में निम्नांकित अनुसार स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट दी जा सकेगी:-

(1) (अ) भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)।

(ब) ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक।

(2) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर एवं इनमें स्थापित होने वाले उद्योग।

(3) औद्योगिक विकास नीति-2024-30 के अंर्तगत घोषित बंद/बीमार उद्योग के क्रय पर क्रय-विक्रय से सम्बंधित विलेखों पर।

8. कोल्ड स्टोरेज हेतु निवेश प्रोत्साहन :-

(1) **नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर** (नेट एस.जी.एस.टी.) **प्रतिपूर्ति** -

विकासखण्ड की श्रेणीवार नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एस.जी.एस.टी.) प्रतिपूर्ति की सीमा निम्नानुसार होगी -

i. समूह-1 हेतु वाणिज्यिक उत्पादन करने के दिनांक से 5 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति, अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत तक,

ii. समूह-2 हेतु वाणिज्यिक उत्पादन करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति, अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत तक,

iii. समूह-3 हेतु वाणिज्यिक उत्पादन करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति, अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत तक।

अथवा

स्थायी पूंजी निवेश अनुदान -

विकासखण्ड की श्रेणीवार स्थायी पूंजी निवेश की मात्रा एवं अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी -

i. समूह-1 हेतु मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 40% , अधिकतम रु 20 करोड़।

ii. समूह-2 हेतु मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 45% ,अधिकतम रु 22 करोड़।

iii. समूह-3 हेतु मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 50% , अधिकतम रु 25 करोड़।

टीप-

1. रु 10 करोड़ तक के स्थायी पूंजी निवेश वाले कोल्ड स्टोरेज को स्थाई पूंजी निवेश अनुदान का वितरण 3 समान किश्तों में किया जाएगा। रु 10 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले कोल्ड स्टोरेज को स्थाई पूंजी निवेश अनुदान का वितरण 5 समान किश्तों में किया जाएगा।
2. मान्य स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु भूमि मद में कुल स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 30% मान्य किया जाएगा।
3. उपरोक्त दर्शित नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अथवा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान में से कोई एक सुविधा विकल्प चयन के आधार पर ली जा सकेगी। इस हेतु एक बार लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा। विकल्प चयन करने हेतु

निवेशक को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में विकल्प पत्र शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

4. स्थायी पूंजी अनुदान की प्रथम किश्त का भुगतान उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पर निर्धारित स्वीकृति के पश्चात किया जा सकेगा।

(2) **ब्याज अनुदान :-**

नवीन/विद्यमान उद्यम में विस्तार/शवलीकरण करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कोल्ड स्टोरेज के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित अनुसार ब्याज अनुदान प्रदान किया जा सकेगाः –

क्र.	विकासखण्ड की श्रेणी	स्थायी पूंजी निवेश रू 1.5 करोड़ से रू 7 करोड़ तक			स्थायी पूंजी निवेश रू 7 करोड़ से अधिक		
		दर (प्रतिशत)	अधिकतम सीमा (रू लाख में)	अवधि (वर्षों में)	दर (प्रतिशत)	अधिकतम सीमा (रू लाख में)	अवधि (वर्षों में)
1	समूह-1	50	40	06	50	50	09
2	समूह-2	55	45	07	55	55	10
3	समूह-3	60	50	08	60	60	11

(3) **विद्युत शुल्क से छूट -:**

नवीन लॉजिस्टिक्स उद्यम के प्रकरणों में विकासखंड की श्रेणीवार विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की अवधि एवं मात्रा निम्नानुसार हो सकेगी:-

i. समूह-1 हेतु वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट।
ii. समूह-2 हेतु वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट।
iii. समूह-3 हेतु वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।

(4) **स्टाम्प शुल्क से छूट :-**

नवीन लॉजिस्टिक्स उद्यम/विद्यमान उद्यम में विस्तार/शवलीकरण के प्रकरणों में निम्नांकित अनुसार स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट दी जा सकेगी:-

(1) (अ) भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)।

(ब) ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक।

(2) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर एवं इनमें स्थापित होने वाले उद्योग।

9. **लॉजिस्टिक पार्क/हब हेतु निवेश प्रोत्साहन :-**

(1) राज्य में निजी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम 15 एकड़ भूमि में लॉजिस्टिक पार्क/हब, स्थापित करने पर आंतरिक अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 40 प्रतिशत अथवा रु 25 लाख प्रति एकड़ जो न्यूनतम हो प्रदाय होगा। बाह्य अधोसंरचना (एप्रोच सड़क, विद्युत लाइन, पानी हेतु पाइप) पर किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति 50% की दर से अधिकतम रु 5 करोड़ तक देय होगी। इसके अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति एवं भू-पुनर्निधारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। इन निजी लॉजिस्टिक पार्क/हब के विकासकर्ता स्वयं के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार उद्यमों को भूमि का आबंटन कर सकेंगे, अथवा स्वयं लॉजिस्टिक सेवाओं का संचालन कर सकेंगे, किंतु इन क्षेत्रों की स्थापना/विकास के लिए उन्हें समस्त शासकीय नियम व शर्तों का पालन करना होगा। निजी लॉजिस्टिक पार्क में स्थापित होने वाले उद्यमों को 10% अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी, अधिकतम सीमा 10% अधिक होगी, छूट के प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

(2) निजी निवेशकों द्वारा न्यूनतम 5 एकड़ भूमि पर विकसित लॉजिस्टिक हब हेतु अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर सड़क/रेल/वायु से संबंधित अधोसंरचना बिजली, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज) का 40%, अधिकतम रु 140 करोड़ अनुदान देय होगा। इसके अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति एवं भू-पुनर्निधारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

(3) बस्तर एवं सरगुजा संभाग में लॉजिस्टिक पार्क/हब की स्थापना पर 10% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा एवं अधिकतम सीमा भी 10% अधिक होगी ।

10. ड्राइ पोर्ट/इन्लैन्ड कन्टेनर डिपो /एयर कार्गो टर्मिनल/ गति-शक्ति कार्गो टर्मिनल हेतु निवेश प्रोत्साहन :-

(1) राज्य में निजी निवेशकों द्वारा मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क/ ड्राइ पोर्ट/ इन्लैन्ड कन्टैनर डिपो की स्थापना हेतु किए गए स्थाई पूंजी निवेश (भूमि की कीमत को छोड़कर) का 40%, अधिकतम रु 140 करोड़ अधोसंरचना विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा।

(2) बाह्य अधोसंरचना (एप्रोच सड़क, विद्युत लाइन, पानी हेतु पाइप) पर किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति 50% की दर से अधिकतम रु 5 करोड़ तक देय होगी।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति एवं भू-पुनर्निधारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

(4) बस्तर एवं सरगुजा संभाग में ड्राइ पोर्ट/ कन्टैनर स्टेशन/ टर्मिनल की स्थापना पर 10% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा एवं अधिकतम सीमा भी 10% अधिक होगी।

11. ट्रांसपोर्ट हब/फ्रेट स्टेशन हेतु निवेश प्रोत्साहन :-

(1) नगरों के बाहर, भारी वाहनों के पार्क करने व समान की लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए न्यूनतम 5 एकड़ की भूमि पर ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना करने करने पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 35% प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु 5 करोड़, प्रदान किया जाएगा।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति एवं भू-पुनर्निधारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

12. फ्रेट/कूरियर सेवा हेतु निवेश प्रोत्साहन :-

(1) **परिवहन वाहन अनुदान :-**

न्यूनतम रु 5 करोड़ के निवेश से स्थापित कोल्ड स्टोरेज हेतु क्रय किये जाने वाले रेफ्रिजरेटेड वाहन (न्यूनतम क्षमता 9 मिट्रिक टन) पर 50 प्रतिशत अधिकतम 35 लाख रूपये प्रति वाहन तथा लॉजिस्टिक हब हेतु क्रय किये जाने वाले वाहन (न्यूनतम क्षमता 9 मिट्रिक टन) को 50 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रू. प्रति वाहन का अनुदान प्रदान

किया जायेगा। इलेक्ट्रिक वाहन हेतु 10% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा एवं अधिकतम सीमा भी 10% अधिक होगी।

(2) **वाहन पंजीयन शुल्क एवं नेशनल परमिट शुल्क प्रतिपूर्ति :-**

(i) ऐसे वाहन जिनकी क्षमता 30 मिट्रिक टन से कम है. को पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत तथा नेशनल परमिट शुल्क में 100 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा।

(ii) ऐसे वाहन जिनकी क्षमता 30 मिट्रिक टन से अधिक है, को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत तथा नेशनल परमिट शुल्क में 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा।

टीप- रेफ्रिजरेटेड वाहन के प्रकरण में वाहन की अधिकतम सीमा 2 वाहन प्रति कोल्ड स्टोरेज एवं नॉन-रेफ्रिजरेटेड वाहनों के प्रकरण में अधिकतम मान्य निवेश लॉजिस्टिक हब में किए गए निवेश का अधिकतम 30% होगा। वाहनों का क्रय एवं पंजीयन छत्तीसगढ़ में किया जाना अनिवार्य होगा।

13. ग्रीन लॉजिस्टिक हेतु अतिरिक्त अनुदान :-

निम्नानुसार व्यवस्थाएं उद्यम में स्थापित किये जाने पर नीति में प्रावधानित अनुदान से 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्रदान की जावेगी -

(1) लॉजिस्टिक्स में डिजीटिलाईजेशन को प्रोत्साहित करने हेतु सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डाक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफार्म की व्यवस्था किये जाने पर।

(2) अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु पृथक से व्यवस्था किये जाने पर।

(3) विद्युत की व्यवस्था नवीन नवकरणीय स्त्रोत से किये जाने पर।

14. पैकेजिंग सेवा :-

राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यात से संबंधित उत्पादों के पैकेजिंग केन्द्र को कोल्ड स्टोरेज हेतु प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायत प्रदान किया जावेगा। इस हेतु पैकेजिंग केन्द्र को निर्यात से संबंधित माल के लिए न्यूनतम 70 प्रतिशत पैकेजिंग किया जाना अनिवार्य होगा।

15. गैर-वित्तीय प्रोत्साहन :-

(1) राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रावधानों के अनुसार अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऊंचाई प्रतिबंधों में छूट दी जायेगी, भवन की ऊंचाई 24 मीटर तक स्वीकार्य होगी।

(2) वित्तीय प्रोत्साहन, ग्रेडिंग प्रणाली, रेटिंग और उत्कृष्टता प्रमाणीकरण के आधार पर उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदान करने वाले उद्यमों को पुरस्कार प्रदान किया जावेगा।

(3) 24/7 वेयरहाउस संचालन हेतु आवश्यक विधिक एवं प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे।

16. **विशेष/अतिरिक्त औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन :-**

राज्य में 500 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले अथवा राज्य में 1000 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाले लॉजिस्टिक इकाइयों की स्थापना हेतु इस नीति में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्तावों पर औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.29) के अंतर्गत गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति विचार कर सकेगी।

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.